बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

## मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं हेतु सूचना

उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत राज्य के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

अतः राज्य के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राएँ निम्न प्रपत्र में वांछित सूचना अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त सूचना संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रतिवेदित की जाएगी। सूचना प्राप्ति के उपरांत कर्णांकित राशि लाभुकों के खाते में अंतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित संकल्प विस्तृत निदेश एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। विहित प्रपत्र संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित जानकारी/अपेक्षित सूचना हेतु विभाग के Helpline No. 18003456444 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

(सुशील कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा

### विहित प्रपत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | छात्रा का नाम | 07. | खाता संख्या |
| 02. | महाविद्यालय का नाम | 08. | बैंक IFSC कोड़ |
| 03. | परीक्षा क्रमांक | 09. | मो0 न0 |
| 04. | निबंधन संख्या | 10. | संकाय |
| 05. | आधार संख्या | 11. | सत्र |
| 06. | बैंक का नाम | 12. | परीक्षाफल प्रकाशन/उत्तीर्णता की तिथि |

**नोट :–** **लाभुकों द्वारा संबंधित बैंक के खाता की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (जिस पर खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो) संलग्न की जाएगी ।**

छात्रा का हस्ताक्षर

Press bigapti 2018